न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 20/2025

श्री रामधन चौधरी पुत्र श्री कल्याण चौधरी जाति जाट निवासी मराठा कॉलोनी छावनी, टोंक तहसील व जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **22.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक दिनांक 01.01.2024 से आज तक कब—कब अपने मुख्यालय से राजकीय स्वीकृती प्राप्त कर मुख्यालय छोडा राजकीय स्वीकृती की छाया प्रतिलिपी दिनांक 01.01.2024 से आज तक उपलब्ध करावे।
2. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक दिनांक 01.01.2024 से वर्तमान तक कब—कब अपने मुख्यालय पर रही है। दिनांकवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ।
3. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक के वार्षिक ड्रोन स्टेटमेन्ट वर्ष 2022—23, 2023—24 की सत्य प्रतिलिपी उपलब्ध करावें ।
4. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक द्वारा दिये गये इनकम टैक्स फार्म की सत्यापित छायाप्रति वर्ष 2022—23, 2023—24 की प्रति उपलब्ध करावें ।
5. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक द्वारा पेश सम्पूर्ण चल—अचल सम्पत्ति के रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपी उपलब्ध करावें ।
6. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक द्वारा भरा जाने वाला एसी आर रिकार्ड जिसमे कर्मचारी अपनी चल—अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देते है उक्त कर्मचारी के एसी आर रिकार्ड वर्ष 2022—23, 2023—24 की सत्य प्रतिलिपी उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 384 दिनांक 10.03.2025, 459 दिनांक 27.03.2025 व 530 दिनांक 15.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट

जिला कलेक्टर
टोंक

643

उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने ने पत्र क्रमांक 3335 दिनांक 08.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पंत्रांक 505 दिनांक 31.01.2025 से प्रार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं. 1 व 2 की सूचना रजि. डाक से प्रेषित कर दी गई है। बिन्दु सं. 3 ता. 6 की सूचना के संबंध में भी अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 2278 दिनांक 25.03.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)